

—बहत्तर—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-2995 / 11-2005-500(7)-2001
लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-345

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-5-3338 / 11-2004 - 500(7)-2001, दिनांक 2 जुलाई, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द, अंक और संख्या, "01 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाली, 31 मार्च, 2005 तक" के स्थान पर शब्द, अंक और संख्या, "01 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाली, 31 मार्च, 2006 तक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-2995/XI-2005-500(7)-2001, dated July 27, 2005 for general information:

No. K.N. 5-2995/XI-2005-500(7)-2001

Lucknow, Dated July 27, 2005
Notification

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. K.N. 5-3338/XI-2004-500(7)-2001, dated July 2, 2004 as amended from time to time :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the words, figures and number, "commencing from April 01, 2004 to March 31, 2005", the words, figures and number, "commencing from April 01, 2005 to March 31, 2006" shall be substituted.

By order.
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.